<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 229 / 10</u> संस्थापन दिनांक:--14 / 05 / 10 फाईलिंग नं. 233504000232010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतुल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

- 1. गणेश पिता मारोती, उम्र 52 वर्ष
- 2. रमेश पिता मारोती, उम्र 40 वर्ष
- खुशाल पिता मारोती, उम्र 40 वर्ष तीनों निवासी रमली, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 13.05.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.11.2009 को शाम 07:00 बजे या उसके लगभग ग्राम रमली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी शिवशंकर को चोरी कबूल करने के लिए पनडूब्बी के तार से बांधकर टांके में डूबाकर उसके साथ मारपीट कर 5,500/— रूपये की चोरी करने का कबूल कराकर जिससे कि अपराध किया जाना सुकर हो करने के लिए मजबूर किया।
- 2 प्रकरण में अभियुक्त मारोतीराव पिता तुकाराम को दिनांक 09.08. 2016 को फौत घोषित किया गया है। फरियादी तुकाराम को फौत तथा आहत शिवशंकर को अदम पता घोषित किया गया है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.2009 को अभियुक्तगण ने शिवशंकर जिसकी उम्र 14 वर्ष थी को घर से पकड़कर ले गये। अभियुक्त खुशाल ने रात्रि 7 बजे उसे हाथ, पैर बांधकर कमर में रस्सा

बांधकर ओम के कुएं में उपर नीचे किया। जिसके पश्चात उसे शंकर पुलिस के घर लाकर मारपीट किया, गाली गुप्तार किया, हाथ पैर बांधे और उसके क्या हाटनाएं किया था उसके बारे में पूछताछ किया। अभियुक्तगण ने 48 घंटे शिवशंकर को शंकर पुलिस वाले के घर रखकर प्रताड़ित किया। शिवशंकर को जैसे जैसे मार पड़ती थी वह कुछ भी बकता था। दिनांक 18.11.2009 को शिवशंकर को छोड़ा गया। फरियादी की सूचना के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 106/10 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी शिवशंकर को चोरी कबूल करने के लिए पनडूब्बी के तार से बांधकर टांके में डूबाकर उसके साथ मारपीट कर 5500/— रूपये की चोरी करने का कबूल कराकर जिससे कि अपराध किया जाना सुकर हो करने के लिए मजबूर किया ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 सुषमा (अ.सा.—1), शीलाबाई (अ.सा.—2) ने अभियुक्तगण को जानना प्रकट किया है। साक्षी सुषमा (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि फरियादी तुकाराम उसके नाना थे और साक्षी शीलाबाई (अ.सा.—2) ने यह बताया है कि तुकाराम उसके पिता थे। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्हें घाटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उपर्युक्त दोनों साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा दिये गये इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने

आहत शिवशंकर को बांधकर ले गये थे और उसे चोरी का अपराध कबूल करने के लिए दबाव डाला था।

- वसंत कुमार मिरासे (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन कथनों में दिनांक 12.05.2010 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 106 / 10 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—3) तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी—4 लगायत प्रदर्श पी—7 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि प्रकरण में चोरी के पैसे को लेकर उभयपक्ष के मध्य विवाद था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसने कोई भी धनराशि जांच के दौरान जप्त नहीं की थी और न ही कोई पनडुब्बी का तार जप्त किया था। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि जब विवेचना के दौरान उसने नक्शा मौका बनाया था तो फरियादी तुकाराम ने उसे कोई टांका नहीं बताया था जहां पर आहत शिवशंकर को डूबाने का प्रयास किया गया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना स्थल पर कोई 9 फिट का टांका भी नहीं था।
- 8 इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा फिरयादी शिवशंकर को पनडुब्बी के तार से बांधकर टांके में डूबाकर चोरी का अपराध कबूल करने हेतु मारपीट की गयी हो। स्वयं विवेचन अधिकारी बसंत कुमार मिरासे (अ.सा.—3) ने पनडुब्बी का तार जप्त किया जाना एवं घटना स्थल पर टांका होने से इनकार किया है। इसके अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि आहत शिवशंकर का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया हो जिससे कि यह प्रकट हो कि आहत से अपराध कबूल करवाये जाने हेतु उसके साथ मारपीट की गयी हो। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने आहत शिवशंकर को चोरी कबूल करवाने के लिए पनडूब्बी के तार से बांधकर टांके में डूबाकर उसके साथ मारपीट की।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी शिवशंकर को चोरी कबूल करने के लिए पनडूब्बी के तार से बांधकर टांके में डूबाकर उसके साथ मारपीट कर 5,500/— रूपये की चोरी करने का कबूल कराकर जिससे कि अपराध किया जाना सुकर हो करने के लिए मजबूर किया। फलतः अभियुक्तगण गणेश, रमेश एवं खुशाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 327 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 10 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 11 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)